सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 1, मंगलवार शाके 1942- अप्रेल 21, 2020	
Vaisakha 1, Tuesday , Saka 1942- April 21, 2020	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 20, 2020

जी.एस.आर. 109:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगें।

2. अनुसूची-II का संशोधन- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 से संलग्न अनुसूची-II में शीर्ष ग्रुप क-सामान्य, के अधीन

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

1.	अतिरिक्त विकास अधिकारी	-	100 प्रतिशत	-	अनुदेशक/ सहायक विकास अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ ही स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-

";

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ‘‘अनुदेशक/पंचायत विस्तार अधिकारी’’ के स्थान पर अभिव्यक्ति ‘‘अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी’’ प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 8 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''इस पद पर आगे कोई सीधी भर्ती/पदोन्नति नहीं की जायेगी और जब कभी सीधी भर्ती कोटा और पदोन्नति कोटा के पद रिक्त हों तो ऐसे पद समाप्त किये समझे जायेंगे।''

[सं.एफ.1(1)डीओपी/ए-।।/96]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

शासन उप सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, April 20, 2020

G.S.R. 109:-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998, namely:-

1. Short title and commenencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule-II.- Under the heading Group A-General of Schedule-II appended to the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules,1998,-

(i) the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Additional Vikas Adhikari	-	100%	-	Instructor / Assistant Vikas Adhikari	Graduate from a University established by law in India with 5 years experience on the post mentioned in column number 6	-

";

(ii) in column number 2 against serial number 2, for the existing expression "Instructor/ Panchayat Extension Officer", the expression "Instructor/Assistant Vikas Adhikari" shall be substituted; and

(iii) the existing entries in column number 8, against serial number 3 shall be substituted by the following, namely:-

"No further direct recruitment/ promotion shall be made on the post and as and when post of direct recruitment quota and promotion quota falls vacant shall be deemed to be abolished."

[No.F.1(1)DOP/A-II/96]
BY ORDER AND IN THE NAMR OF THE GOVERNOR,
JAI SINGH **,**
DEPUTY SECRETARTY TO THE GOVERNMENT

Government Central Press, Jaipur.